न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री बृजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्याः–197/2019 (GCMS No. 2019/00205) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. अंगद पुत्र भरोसी आयु 65 साल
2. बल्ला पुत्र भरोसी आयु 48 साल
3. प्रकाश पुत्र बल्ला आयु 50 साल
4. गोपाल पुत्र बल्ला आयु 52 साल
5. प्रहलाद पुत्र भरोसी आयु 50 साल

समस्त जाति चतुर्वेदी निवासीयान गुनेसरी तहसील व जिला करौली (राज.)

..........अपीलांटस

बनाम

1. रामपति वेवा रामभरोसी जाति धोवी निवासी महाविद्यालय के पीछे करौली तहसील व जिला करौली (राज.)।
2. तहसीलदार तहसील करौली जिला करौली (राज.)।

.........रेस्पोडेन्टस

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर ★

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला कलक्टर करौली दिनांक 22.10.2019 मुकदमा नम्बर 12/19 उनवान रामपति आदि बनाम तहसीलदार तहसील करौली।

उपस्थितिः– अपीलांट की ओर से श्री महाराजसिंह, वकील।

नि र्ण य **दिनांक : 13.06.2024**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 22.10.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि आराजी खसरा नम्बर 148/5 रकवा 15 बीघा वाके ग्राम आनन्दगढ तहसील करौली के संबंध में रेस्पो. संख्या 1 द्वारा तहसीलदार करौली के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपीलांट के विरूद्ध पेश किया। तहसीलदार करौली द्वारा प्रार्थना पत्र 10 सी. पी.सी. दिनांक 15.03.2019 को स्वीकार किया गया। जिसकी अपील न्यायालय जिला कलक्टर करौली को पेश की। जिला कलक्टर करौली द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.10.2019 से रेस्पो. संख्या 1 की अपील स्वीकार कर आदेश

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर

दिनांक 15.03.2019 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार करौली को रिमाण्ड कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। ।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट की ओर से पैरवी हेतु कोई भी हाजिर अदालत नहीं आया।
3. हमने अपीलांट की अपील पर बहस सुनी।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए दलील दी कि विवादित आराजी के संबंध में प्रस्तुत नियमित वाद राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी सुरेश बनाम अंगद लम्बित है। उक्त निगरानी में उभयपक्षकारान को मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश दिया हुआ है। इस प्रकार संबंधित कार्यवाही की नियमित वाद के विचाराधीन रहते स्थिगित रखा जाना चाहिए। तहसीलदार करौली के आदेश में कोई कमी या त्रुटि नहीं है। नियमित वाद अपीलार्थी द्वारा अपने नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने व स्थाई निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया है जिसमें उत्तरवादी व उसके पुत्रगण सुरेश व भजन पक्षकार हैं। खातेदार के इन्द्राज उत्तरवादी के नाम कतई गलत है और निरस्त किये जाने योग्य हैं। उत्तरवादी का कब्जा विवादित जमीन पर कभी भी नहीं रहा है। उसके द्वारा केवल कागजी पट्टा लिया गया है। जो अस्तित्व में नहीं है और इसकी प्रतिलिपि देने से भी मना कर दिया है। प्रकरण पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अपीलांटस का कब्जा काश्त पूर्व का है जो पुश्तैनी है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई कानून इस प्रकरण पर प्रभावी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 183 बी का मामला उचित मानने में कानूनी भूल की है। किसी अतिक्रमी को हटाने (Eject) करने की अवधि 12 वर्ष है। जबकि अपीलार्थी का कब्जा 60 वर्ष से भी अधिक समय से है। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से पूर्व का है। अपीलार्थी के पूर्वजों द्वारा उक्त विवादित आराजी को खरीदा गया है। अपीलार्थी को विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हैं जिसके विरूद्व धारा 42(बी) व 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय के प्रावधान किसी प्रकार से प्रभावी नहीं होते हैं। अतः अपीलांटस की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.10.2019 निरस्त किया जावे।
5. अपीलांट की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 148/5 ग्राम आनंदगढ रेस्पो. रामपति की क्रय शुदा भूमि है। तहसीलदार की पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2073–76 के अनुसार उक्त भूमि रामपति की खातेदारी में दर्ज है। रामपति वेवा रामभरोसी जाति धोबी द्वारा तहसीलदार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

करौली को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी के तहत प्रस्तुत किया। जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का सायपुर से प्राप्त की गई। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 21.12.2018 को मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश की। पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विवादित आराजी रामपति की खातेदारी की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.10.2019 में विवेचन किया है कि –

"विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 148/5 बांके ग्राम आनंदगढ अपीलार्थी रामपति जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क्रयशुदा भूमि है जिसपर प्रत्यर्थीगण 2 ता 6 ने 800 फुट लंबी मिट्टी की दीवार बनाकर अनाधिकार कब्जा कर लिया है। विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी की भूमि है जो राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन प्रकरण में पक्षकार नहीं है। खातेदार कृषक की भूमि पर अन्य पक्षकार द्वारा कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही राजस्व मण्डल से जारी स्थगन की वर्तमान स्थिति से भी प्रत्यर्थीगण द्वारा अवगत नहीं कराया है। तहसीलदार करौली द्वारा पटवारी हल्का से तलब की गई रिपोर्ट अनुसार भी यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी की है जिस पर प्रत्यर्थीगण 2 ता 6 द्वारा अनाधिकार कब्जा किया हुआ है। ऐसी स्थिति में बेदखली की कार्यवाही को स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं है।"

राजस्व मण्डल में लम्बित प्रकरण का उनवान पृथक है तथा अनुसूचित जाति की भूमि पर गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अधिकार सृजित होने का प्रावधान विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने नहीं बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड का अवलोकन एवं दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय किया गया है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांटस की अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

6. फलस्वरूप अपीलांटस की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर करौली का निर्णय दिनांक 22.10.2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।
7. निर्णय आज दिनांक 13.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/6/24

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर